न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0) /ए0सी0जे0एम0, सहारनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या /2022
(**CNR NO.UPSP04-074807-2022**)

अन्तर्गत धारा **323 एवं 324** भा0द0सं0,
थाना **सदरबाजार ,** जिला सहारनपुर।
मु0 अ0 सं0 **325 /91**

<u>12–10–2022</u>

दाण्डिक वाद संख्या **1238 /22,** मु0 अ0 सं0 **325 /91,** अन्तर्गत धारा **323 एवं 324** भा0द0सं0, थाना **सदरबाजार,** जिला सहारनपुर के अभियोग में अभियुक्त **मदन** पुत्र जगन्नाथ की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी, अभियुक्त है और जमानत पर था। प्रार्थी काम के लिये दूसरे राज्य में चला गया था। प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है न भविष्य में करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त जमानत हेतु उचित जामिनान पेश करने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

सुना एवं सम्बन्धित थाने से अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का **आपराधिक इतिहास नही है।**

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था तथा उसकी गैर हाजिरी के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध बिना जमानती वारन्ट जारी किये गये, जिसके परिपेक्ष्य में अभियुक्त को सम्बन्धित थाना **सदरबाजार** की पुलिस द्वारा दिनॉक **09–10–22** को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया ,जिस पर अभियुक्त **मदन पुत्र जगन्नाथ** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया एवं अभियुक्त का धारा 309 द0प्र0सं0 का वारन्ट बना कर उसे जिला कारागार भेजा गया।

अभियुक्त **मदन** उक्त अपराध में दिनॉक **09–10–22** से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सात वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों , परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो **नवीन प्रतिभू** दाखिल करने पर दौरान वाद जमानत पर रिहा किया जाये।

(मयंक प्रकाश)
द्वितीय अपर सिविल जज, (सी0डि0)/
ए0सी0जे0एम0, सहारनपुर।
आई0डी0 नम्बर –U.P. JO Code-2293

दिनॉक **12–10–2022**